दीनांक 10/18 रामप्रसाद / वगैरह

12.7.2018 पत्रावली अंतर्गत धारा 122

अवलोकन किया गया। तहसीलदार
मेड़ता ने अपनी आख्या रिपोर्ट दिनांक
18.6.2013 से पत्रावली 122 की रिपोर्ट
के आधार पर वृद्धि करने की अनुशंसा की
है। तहसीलदार की अनुशंसा स्वीकार
कर वादी का वाद स्वीकार किया
जाता है। प्रतिवादी नाबालिग की
दिनांक 18.6.2018 को उपस्थित
होकर सहमति दी गई।

तहसीलदार मेड़ता की अनुशंसा दिनांक
18.6.2018 के आधार पर दावा स्वीकार
कर मौजा सिकलपुर के ग.नं. 2478
का अंतरण दस्तावेज नवीन पत्रावली
में रामप्रसाद पु० शिवलाल जाट
(पूर्वज) के नाम 1.25 हे. भूमि
दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान
की जाती है। तहसीलदार रिपोर्ट
निर्णय का भाग होगा। डिक्री
पत्रावली है। तहसीलदार मेड़ता अपने
अधीनस्थ कार्यालय को स्थगन आदेश अलग
आदेश, भूमि दखल नहीं है। निर्माण
कार्य नहीं है तो निर्णयानुसार शीघ्रातिशीघ्र
रिकार्ड में अंतरण दस्तावेज पत्रावली
फैसल शुमार होकर कार्यवाही
शामिल रखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner